राजस्व वाद संख्या:- 162/2019
जगदीश प्रसाद बनाम कमला आदि
निर्णय दिनांक:- 22/10/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 162/2019

जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभुदयाल उम्र व्यस्क जाति बावरिया निवासी नन्दा वाली ढाणी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान जरिये मुख्तायार लालचन्द पुत्र श्री श्योदान सिह जाति बावरिया निवासी कौसली रोड़ झज्जर तहसील व जिला झज्जर हरियाणा

– वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रमेश जाति नायक निवासी अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. निमली पत्नी श्री सुभाष जाति नायक निवासी अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. अमीलाल पुत्र जस्सुराम जाति मेघवाल निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
4. कमलेश पत्नी स्व0 रामसिंह जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. मीना पुत्री स्व0 रामसिह जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. कैलाश पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
7. रोशनी देवी पत्नी अजय कुमार जाति मेघवाल निवासीश भानगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
8. होशियार सिह पुत्र मंगलाराम जाति मेधववाल निवासी भुडनपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
9. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद जरिये शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूरजगढ जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
11. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:- 162/2019
जगदीश प्रसाद बनाम कमला आदि
निर्णय दिनांक:- 22/10/21

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक – 22/10/21

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) कि भूमि खेत ख0न0 29 रकबा 6.11 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा तहसील सूरजगढ में से वादी को हिस्सा 276993/863954+18/611+ 327897/863954 यानि रकबा 2.39189 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम हज्फ किया जाना फरमाया जावे।
(ख) कि भूमि खेत ख0न0 28 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0न0 5 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा में से हिस्सा 260/707 यानि रकबा 0.3530 हैक्टर का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाना फरमाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी नं. 1 व 2 का नाम हज्फ किया जाना फरमाया जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को विक्रय रहन वय नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 3, 6, 8 की ओर से श्री हवासिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामील उपस्थित नही आये, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8 की ओर से दिनांक 25.01.2021 को जबाव पेश नही करना चाहते है तथा वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2013 पेश किये गये जिन पर प्रर्दश 1 लगायत 6 अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2013 में दर्ज हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार डिक्री किया जापे पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 29 रकबा 6.11 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा तहसील सूरजगढ में वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2013 हिस्सा 266/707 यानि रकबा 2.2988 हैक्टर तथा भूमि खेत ख0न0 28 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0न0 5 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा में से हिस्सा 260/707 यानि रकबा 0.3530 हैक्टर का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 162/2019

निर्णय दिनांक :– **10-09-2021**

जगदीश प्रसाद <u>बनाम</u> कमला आदि

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन</u>

वादी की ओर से **श्री रामेश्वर दयाल एडवोकेट** व प्रतिवादी सं. 3,6,8 की ओर से **श्री हवासिंह एडवोकेट** की उपस्थिती एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,5,7,9,10,11 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.09.21 को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 29 रकबा 6.11 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा तहसील सूरजगढ में वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2013 हिस्सा 266/707 यानि रकबा 2.2988 हैक्टर तथा भूमि खेत ख0न0 28 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0न0 5 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर स्थित ग्राम भुडनपुरा में से हिस्सा 260/707 यानि रकबा 0. 3530 हैक्टर का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **10.09.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़